प्रेषिका,

रोमा गुप्ता,
न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहराइच।

सेवा में,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।

द्वाराः- जनपद न्यायाधीश,
बहराइच।

विषयः <u>स्थायी निर्मित आवास क्रय करने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में।</u>

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि अद्योहस्ताक्षरी का विवाह माह नवम्बर- २०१९ में वैज्ञानिक 'B' श्री अभिषेक सिंह के साथ सम्पन्न हुआ है। वर्तमान में अद्योहस्ताक्षरी के पति डी०एम०एस०आर०डी०ई०, कानपुर में क्लास वन अधिकारी के रूप में विगत १० वर्षों से कार्यरत है। अद्योहस्ताक्षरी व उसके पति का कोई स्थायी निवास नहीं है। अद्योहस्ताक्षरी न्यायिक सेवा में आने से पूर्व आबकारी निरीक्षक के पद पर आबकारी विभाग में ३ वर्षों तक कार्यरत रही है। चूंकि अद्योहस्ताक्षरी व उसके पति के पास कोई स्थायी निवास नहीं है, जिस कारण काफी असुविधा उत्पन्न हो रही है। अद्योहस्ताक्षरी अपने पति के साथ संयुक्त रूप से जनपद कानपुर में ही कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अप्रूव्ड निर्मित मकान जो वर्तमान में श्रीमती शाहिबा खातून के नाम पर दर्ज है, को क्रय करने के इच्छुक है तथा उक्त मकान का निर्धारित मूल्य मु० ९०,००,०००/-(नब्बे लाख) रूपये है, जिसे क्रय करने हेतु ८१,००,०००/-(इक्यासी लाख) रूपये का संयुक्त ऋण एच०डी०एफ०सी० बैंक से लेना चाहते हैं, तथा शेष धनराशि अद्योहस्ताक्षरी व उसके पति द्वारा संयुक्त रूप से अदा की जायेगी।

अतः माननीय महोदय से विनम्र अनुरोध है कि अद्योहस्ताक्षरी को अपने पति के साथ संयुक्त ऋण प्राप्त कर उक्त आवास क्रय करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

महती कृपा होगी।

सादर।

भवदीया,

03/03/20
(रोमा गुप्ता)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहराइच।

दिनांकः-०३-०३-२०२०
संलग्नकः-उपरोक्त निर्मित आवास के प्रपत्र की छायाप्रति

CMYK

काo विo प्राo

कानपुर विकास प्राधिकरण

E-mail : kda@kdaindia.co.in • Website : www.kdaindia.co.in

नामान्तरण–पत्र

प्रेषक,

अनु सचिव,
कानपुर विकास प्राधिकरण,
कानपुर।

सेवा में,

~~श्री/~~ श्रीमती साहिबा खातून,
~~पुत्र/पुत्री~~/पत्नी स्व० अशफाक अहमद,
निवासी– MIG-05, अशोक विहार, डब्लू-01,
साकेत नगर कानपुर।

पत्रांक सं0:–डी/1910/सं0स0(जोन–3)/का0वि0प्रा0/2019–20 दिनांक:– 11/11/19

विषय:– भवन/~~भूखण्ड~~ संख्या 05 MIG ब्लाक डब्लू-01 योजना II जूही कलाँ कानपुर नगर के अभिलेखों में पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र/~~वसीयत/दान–पत्र/बैनामें~~ के आधार पर नामान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक भवन/~~भूखण्ड~~ के बावत आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 26.7.2019 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि आप द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्रों/~~पंजीकृत वसीयत/पंजीकृत दान–पत्र/पंजीकृत बैनामा~~/पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र आदि प्रपत्रों के आधार पर विशेष कार्याधिकारी की स्वीकृति दिनांक 04.11.2019 के अनुसार आप द्वारा बकाया कुल धनराशि रू0 NIL बैंक – में दिनांक – को जमा कर देने के फलस्वरूप मूल आवंटन पत्र/~~लीजडीड~~/फ्री–होल्ड डीड दिनांक 29.3.2004 में अंकित समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन तथा प्राधिकरण के समस्त पावनों का प्रथम अधिकार सुरक्षित रखते हुए उपर्युक्त विषयक भवन/~~भूखण्ड~~ के बावत प्राधिकरण के अभिलेखों में मूलआवंटी/पट्टाधारक/भू–स्वामी श्री/~~श्रीमती~~ स्व० अशफाक अहमद पुत्र श्री मुख्तार अहमद ——xx—— के स्थान पर आपका नाम बतौर स्वामी उपरोक्तानुसार प्रश्नगत ~~भूखण्ड~~/भवन पर एकल/~~संयुक्त~~ रूप से अंकित कर दिया गया है। यदि आप द्वारा प्रस्तुत अभिलेख/शपथ पत्र आदि भविष्य में असत्य पाये जाते हैं तो यह नामान्तरण स्वतः निरस्त माना जायेगा।

भवदीय,

[signature]

अनुसचिव
(विक्रय जोन–3)

Self attested
[signature]
03/03/20

We, the Kanpur Development Authority Kanpur, and Shri Ashfaq Ahmad S/O Shri Mukhtar Ahmad, R/O 138/14 ..., Babupurwa Coloney, Kanpur have executed a lease cum sale deed dated ...7.9.93... on the terms and conditions in print and have paid the stamp duty of Rs. 5914.50 .... by means of these stamp sheets which are attached to the document.

Typed Prepared By

Photocopy attested
03/03/20